भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1655
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

डीपीडीपी के अंतर्गत उपयोगकर्ता सहमति हेतु एपीआई निरीक्षण

1655. **श्री पी. पी. चौधरीः**
श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत वैध उपयोगकर्ता सहमति सुनिश्चित करने के लिए एक तात्कालिक कन्सेन्ट एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) तंत्र को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करने वाले संगठनों के लिए इस एपीआई प्रणाली को लागू करने की कार्यान्वयन समय-सीमा क्या है;

(ग) यह प्रणाली किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपयोगकर्ता प्रत्येक विशिष्ट डेटा-प्रसंस्करण उद्देश्य के लिए अलग से सूचित सहमति प्रदान करें;

(घ) क्या संस्थाओं को व्यक्तिगत डेटा का कोई भी प्रसंस्करण शुरू करने से पहले कन्सेन्ट एपीआई को एकीकृत करना अनिवार्य होगा; और

(ङ) अधिनियम के अंतर्गत कन्सेन्ट प्रोटोकॉल की संपरीक्षा, निगरानी और इसके अनुपालन प्रवर्तन में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की विशिष्ट भूमिका और शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ)** : डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") एक प्रौद्योगिकी-अज्ञेयवादी कानून है जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के विनियमन के संबंध में उभरते डिजिटल परिदृश्य और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को संबोधित करता है।

यह एक अधिकार-आधारित, सहमति-संचालित ढांचा स्थापित करता है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।

अधिनियम के तहत, डेटा फिड्यूशरीज़ को एपीआई सहित वैध उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पहले सूचित सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

डेटा फिड्यूशरीज़ द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए:

- क्या व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जा रहा है
- प्रत्येक व्यक्तिगत डेटा उपयोग के लिए विशिष्ट उद्देश्य;
- उपयोगकर्ता अपने अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं (अभिगम, मिटाना, शिकायत निवारण, नामांकन आदि);
- डेटा संरक्षण बोर्ड को शिकायत करने की प्रक्रिया।

अधिनियम डेटा फिड्यूशरीज़ को कार्यात्मक लचीलापन प्रदान करता है कि वे कानूनी दायित्वों को कैसे लागू करते हैं। यह दृष्टिकोण इसके अनुपालन से समझौता किए बिना नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

इसके अलावा, व्यक्ति डेटा सुरक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत होने के लिए सहमति प्रबंधक के माध्यम से डेटा फिड्यूशरीज़ को अपनी सहमति दे सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं।

अधिनियम में निम्नलिखित प्रमुख कार्यों के साथ डिजाइन इकाई द्वारा डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की परिकल्पना की गई है:

- डेटा उल्लंघनों को दूर करने या कम करने के लिए निर्देश देना
- डेटा उल्लंघनों और शिकायतों की जांच करना और वित्तीय दंड लगाना
- वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए शिकायतों को संदर्भित करना और डेटा फिड्यूशरीज़ से स्वैच्छिक उपक्रमों को स्वीकार करना; और
- सरकार को डेटा फिड्यूशरी की वेबसाइट, ऐप आदि को अवरुद्ध करने की सलाह देना जो अधिनियम के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करते पाए जाते हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (नियम) का मसौदा, जो अधिनियम को लागू करने का प्रयास करता है, सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है।

****